

## ग्रामीण समाज में नारी: वृद्ध महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में

डॉ चन्दन कुमार पांडेय

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय, मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश

**सारांश** - भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के कारण प्रारम्भ से ही यहाँ महिलाओं की प्रस्थिति निम्न रही है। महिलाएं बाल्यावस्था में पिता पर, युवावस्था में पति पर तथा वृद्धावस्था में पुत्रों पर निर्भर रहती है। ऐसी आर्थिक पराश्रितता की दशा में वृद्धावस्था महिलाओं के लिए और भी समस्याएं लेकर आती हैं। तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं का अनुपात अधिक होने के कारण पुरुषों से अधिक महिलाएं वैधव्यपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं। इस प्रकार स्त्रियां इस आयु में तीन प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित हो जाती हैं स्त्री होने की, विधवा होने की, वृद्ध होने की। भारत में उनकी देखभाल का एकमात्र प्रमुख स्रोत परिवार ही है। जीवन के अन्तिम दिनों में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व भावनात्मक सहयोग व सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। परन्तु विविध कारणों यथा औद्योगीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, युवाओं का बढ़ता प्रवास, नवीन कानून व्यवस्था, महिलाओं में आयी जागरूकता इत्यादि से परम्परागत संयुक्त परिवार बिखरते जा रहे हैं। भारत में नगरीय वृद्धों की देखभाल के लिए ही पर्याप्त संस्थागत स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे में ग्रामीण वृद्धों के लिए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो जाने के कारण वृद्ध महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है। कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि पुरुषों की अपेक्षाकृत वृद्ध स्त्रियां दुर्व्यवहार व उपेक्षा से अधिक ग्रसित होती हैं।

प्रस्तुत प्रपत्र में द्वितीयक स्रोतों के आधार पर वृद्ध महिलाओं की वर्तमान दशा को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

**मुख्य शब्द**- वृद्ध, स्त्री, परिवार, समाज, प्रस्थिति, जनसँख्या।

एक स्त्री के जीवन में गर्भ में आने के पश्चात् से ही संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। गर्भाकाल के दौरान जीवन पाने के लिए संघर्ष तो वहीं जीवन मिलने के बाद अपने सम्मान, अस्मिता, अस्तित्व व अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है तथा वृद्धावस्था आते-आते वही महिला स्वयं से ही संघर्ष करने लगती है। यद्यपि वृद्धावस्था

पुरुषों व महिलाओं में समान रूप से आती है लेकिन महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक होने के कारण वृद्धों की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत अधिक होता है। भारतीय सेन्सस 2001 के अनुसार कुल 766 लाख वृद्धों में 394 लाख महिलाएँ व 372 लाख वृद्ध पुरुष हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृद्ध जनसंख्या का महिलाकरण होता जा रहा है। चूँकि महिलाएँ अपनी अधिक आयु के व्यक्ति से विवाह करती हैं अतः अधिकतर वृद्ध महिलाएँ विधवा भी होती हैं। अतः उन्हें वृद्धावस्था में तीन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था का, स्त्री, होने का, विधवावस्था का।

ऊशारानी (1989)' के अनुसार। विकासशील देशों में विधवा महिलाओं की संख्या न काफी अधिक होती है, जो वृद्धावस्था में आर्थिक न सुरक्षा के लिए पुत्रों पर निर्भर रहती हैं। डॉ. चक्रवर्ती (2004) ने पाया कि ये अत्यन्त ही शोचनीय दशाओं में रहती हैं और अक्सर ही दुर्व्यवहार से ग्रसित रहती हैं। [परन्तु प्राचीन काल में स्थिति ऐसी नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने सदैव ही इस बात का ध्यान रखा कि वृद्ध वर्ग समाज में उपेक्षित न हो, समाज व परिवार में उनको उच्च आदर व सम्मान प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने कई आचार संहिताएँ भी बनाई जैसे एक स्थान पर वर्णित है कि वृद्धों का आदर सम्मान करने से आयु, विद्या, यश, और बल इन चारों में वृद्धि होती है। तो वहीं अन्यत्र माता के सम्बन्ध में लिखा है कि उनका स्थान पिता से भी ऊँचा होता है क्योंकि वह गर्भधारण से लेकर बड़े होने तक उनका पालन पोषण करती है। आल्टेकर (1973) के अनुसार पूर्व वैदिक काल और वैदिक काल में परम्परागत रूप से स्त्रियाँ भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखती थी साथ ही साथ पुरुषों के समान प्रस्थिति प्राप्त कर संतुष्ट व प्रसन्न थीं। इसके साथ ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें दो तीन या अधिक पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहते थे, सामान्य रसोई व सामान्य सम्पत्ति का उपभोग करते थे। इन परिवारों में सभी के अधिकार एवं कर्तव्य दोनों ही निश्चित थे। परिवार का सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति घर का मुख्य कर्ता होता था, जिसकी आज्ञा व अनुभव से ही युवा वर्ग कार्यों का सम्पादन करता था। परिवार की वृद्ध महिला घर में बच्चों के लालन-पालन व समाजीकरण में अन्य स्त्रियों का सहयोग करती थी। इस प्रकार वृद्धों के जीवन का अन्तिम चरण भी सुगमतापूर्ण, आनन्दमय व्यतीत हो जाता था।

लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सत्य है कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की प्रस्थिति पुरुषों की अपेक्षाकृत निम्न रही है। इस निम्न प्रस्थिति को विभिन्न सूचकों द्वारा प्रदर्शित भी किया जा सकता है यथा लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य की दशा, उपलब्धता इत्यादि। भारत में महिलाओं के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ये बाल्यावस्था में पिता पर युवावस्था में पति पर और वृद्धावस्था में पुत्रों पर निर्भर रहती हैं। पारिवारिक सम्पत्ति में अधिकार न होना आर्थिक रूप से निर्भर रहने के कारण महिलाओं की स्थिति सदैव आश्रितों की रही है। वर्तमान समय में वृद्धावस्था में पुरुषों की स्थिति निम्न होती जा रही है, ऐसे में वृद्ध स्त्रियों के लिए वृद्धावस्था और अधिक समस्याएँ लेकर आती हैं।

औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, नवीन शिक्षा प्रणाली, युवाओं का नगरों की ओर प्रवास इत्यादि कारणों से ग्रामीण समाज का आभूषण माने जाने वाले संयुक्त परिवार संक्रमणशील अवस्था में आ गये हैं व उनका बिखराव प्रारम्भ हो गया है। और इन सबसे सर्वाधिक प्रभावित वृद्ध ही होता है क्योंकि भारत में वृद्धों की देखभाल का एक मात्र केन्द्र परिवार ही है। इनमें संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक परिवर्तन आ जाने से वृद्ध व उनकी देखभाल हाशिए पर आ गई है। मुख्यतः महिलाओं की क्योंकि उनका पूरा जीवन केवल परिवार में, परिवार के लिए व्यतीत होता है और इस नवीन परिस्थिति में स्वयं को समायोजित नहीं कर पाती हैं और दुष्कर जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध पुरुष तो कुछ समय के लिए ही सही घर से अन्यत्र जाकर समय व्यतीत कर लेता है इस प्रकार वह घर की चिन्ता व तनावों से कुछ समय के लिए ही सही मुक्ति प्राप्त कर लेता है परन्तु वृद्धा तो अपना सम्पूर्ण समय परिवार में ही व्यतीत करती है। जहाँ पर उनकी बातों को सुनने वाला, मानने वाला कोई भी नहीं होता क्योंकि पारिवारिक सदस्यों को यह सब अनुपयोगी व अपनी स्वतन्त्रता में बाधक प्रतीत होता है। कुल मिलाकर युवा वृद्धों के साथ समय व्यतीत करना पसन्द नहीं करते हैं, श्रीवास्तव (2006)।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार का एक अन्य स्वरूप भी सामने आ रहा है जहाँ पुत्र व पुत्रवधू एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग-अलग रहते हैं। चूँकि वे अपने पुत्रों से-भोजन इत्यादि प्राप्त करते हैं अतः इन्हें व इण्टरमीडिएट परिवार कहा जा सकता है, जोशी (2006)। वे अपने वृद्ध माता पिता से मतलब व भी कम ही रखते हैं या फिर नहीं भी रखते। ह इसके साथ ही साथ उनके साथ दुर्व्यवहार की प्र घटनाएं भी प्रकाश में आ रही हैं फिर चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो। वृद्ध भी इस सबको निर्विरोध सहते हैं क्योंकि विरोध करने पर जो थोड़ा-बहुत सहयोग उनको प्राप्त हो रहा है, उसका भी अभाव हो जायेगा। इसी सम्बन्ध में लोपाटा (1982) ने अपने अध्ययन में पाया कि जि वृद्ध महिलाएं अधिक दुर्व्यवहार से ग्रसित होती हैं। जहाँ एक तरफ संयुक्त परिवार एकाकी स परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उ जन्मदर, मृत्युदर में कमी जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि, स्वास्थ्य व चिकित्सीय सुविधाओं की पि उपलब्धता, महामारियों पर नियन्त्रण इत्यादि ज कारणों से वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि अंकित की गयी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जो जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी वह आज 2001 में बढ़ते हुए 64 वर्ष तक पहुंच गयी है। अगर वृद्धों की दशक जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत पर दृष्टिपात करें तो विदित होता है कि 1941-51 के दशक में यह प्रतिशत मात्र 8.9 था जो 1961-71 में बढ़कर 32.40 प्रतिशत हो गया, 1991-2001 में तो यह बढ़ते हुए 38.98 प्रतिशत तक हो गया है। इसके आगे आने वाले वर्षों में और अधिक वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

एक तरफ वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर जन्मदर में कमी के कारण उनको सहारा प्रदान करने वालों की संख्या में कमी आ रही है, अर्थात् सेवाग्राहियों की अपेक्षा सेवादाता की संख्या में

कमी परिलक्षित हो रही है। चूंकि वृद्धों को समाज की उत्पादक प्रक्रियाओं से बाहर कर दिया जाता है ऐसी स्थिति में युवा वर्ग उन्हें बोझ मानने लगते हैं। उनमें भी महिलाएँ तो सदैव आर्थिक रूप से आश्रित ही रहती हैं, युवा उन्हें अपने साथ रखना अपनी स्वतंत्रता में बाधा व अनावश्यक खर्च मानते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस माँ ने उसे नौ माह तक कोख में रखकर अपने रक्त से सींचकर उसे जीवन दिया, उसके पश्चात्, उसका पालन-पोषण किया, उसकी हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वही संतान उनको उस समय असहाय छोड़ दे रहा है जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जिससे वह विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हो जाती है। इसी कारण विभिन्न समाजशास्त्रियों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ।

शायद सर्वप्रथम काउट्री (1939) ने वृद्धावस्था की समस्याओं पर अपने विचार दिये, लेकिन इसमें भी काफी समय तक महिलाओं की भूमिका से सम्बन्धित समाजशास्त्रीय रुचि नहीं ली गयी। इसका प्रारम्भ 1970 के दशक के आस-पास से ही हुआ डेलमॉट (1980), इचलर (1985), मैकी (1983), स्ट्रेसी व थोर्न (1985) इत्यादि, उसमें भी विधवा जीवन से राममूर्ति व जमुना (1986)। इसके पश्चात् से वृद्ध महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित कई अध्ययन हुए। टण्डन (2001) ने दिल्ली के अध्ययन में पाया कि भारत में अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति के कारण कम ही वृद्ध महिलाएँ अलग रहती हैं और पुरुषों की अपेक्षा, शोषण की अधिक शिकार होती है। हिमबिन्दू (2002) ने आन्ध्रप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन में पाया कि विधवा महिलाओं की अपेक्षाकृत विवाहित स्त्रियाँ जो अपने पति के साथ रहती हैं, अधिक अच्छा जीवन व्यतीत करती हैं। चक्रवर्ती (2004) के अनुसार वृद्ध महिलाएँ परिवार के युवा सदस्यों के शारीरिक, मौखिक, आर्थिक दुर्व्यवहार के उच्च संदेह के अंतर्गत आती हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या फिर सामाजिक, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। बहू के आ जाने के बाद उन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्ति मिलती है। इससे जहाँ उनकी पारिवारिक प्रस्थिति में कमी आ जाती है वहीं दूसरी ओर उनके पास अत्यधिक खाली समय भी रहता है। जब घर के अन्य सदस्य उनके साथ समय व्यतीत करना, उनसे सलाह करना, सुझाव लेना पसन्द नहीं करते, यहाँ तक कि लिए गये निर्णयों से भी अवगत नहीं कराते फलस्वरूप वे परिवार में रहते हुए भी अलगाव व एकाकीपन से ग्रसित हो जाती है। डिल्लो व समट (1992) के अनुसार वृद्ध पुरुषों की अपेक्षा वृद्ध महिलाओं में निराशावादी प्रवृत्ति व अकेलापन अधिक होता है। यही परिणाम विश्वास (1991) व मेनाचेरी (1987) ने अपने अध्ययन में पाये उनमें भी विधवा वृद्ध स्त्रियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य व आर्थिक समस्याओं से ग्रसित रहती हैं, शर्मा व डाक (1987)।

वृद्धों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 को वृद्ध वर्ष घोषित करते हुए 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वृद्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने 1995 में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की। भारतीय संविधान की धारा 41 में यह स्पष्टतः स्वीकार किया गया है कि वृद्धों को विशेष सहायता की आवश्यकता है। वहीं राज्य सूची की मद संख्या 9 तथा 20, 30

व 24 में वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा तथा आर्थिक व सामाजिक योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त यात्री किराये में छूट, उनको बचत में अधिक ब्याज के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, दादा-दादी बाण्ड योजना भी प्रारम्भ कर दी गयी है। 2007-2008 के बजट में उनको आयकर में छूट सीमा बढ़ाते हुए 1,95,000 कर दी गयी है व धारा 80 डी के अन्तर्गत मेडिकल बीमा छूट 20000 रु० कर दी है। वृद्ध माता पिता की सुरक्षा व 60 वर्ष से अधिक उम्र के अभिभावकों की उपेक्षा को दण्डनीय बनाने सम्बन्धी विधेयक "वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट" 07 भी पारित किया गया है। जिसके अनुसार वृद्धों की उपेक्षा पर सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। साथ ही साथ वृद्धों को दी जाने वाली पेंशनराशि में वृद्धि की गयी है। गरीब वृद्धों के लिए अन्नपूर्णा योजना चलायी जा रही है। परन्तु अभी तक वास्तविकता यह है कि सरकारी तौर पर बनाये गये कानून व योजनाओं से वांछित पूर्ण रूपेण लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, कारण चाहे प्रशासनिक लचरता हो, भ्रष्टाचार हो या फिर जागरूकता का अभाव। अतः वृद्धों व उनकी समस्याओं से निपटने के लिये व्यक्तिगत, सामाजिक व सरकारी तीनों स्तरों पर मिल जुलकर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही आज के युवा को यह समझना होगा कि वृद्ध देश का गौरव, सम्पत्ति व दायित्व तीनों हैं। समाज में सभी का समान महत्व है किसी एक की उपेक्षा से देश के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

#### REFERENCES

1. Usha, Rani.; D. M. Rajasekhar and D.N. Naidu 1989 in M. Himbindu "Study of Rural Women in Andhra Pradesh" Shipra Publication, New Delhi pp5.
2. Chakraborti, Rajgopal Dhar 2004 The Greying of India: Sage Publication, New Delhi.
3. Altekar, A. S. 1973 The Position of the Women in Hindu Civilization from Pre-historic Times to the Present Day. Delhi, Motilal Banarasidas Publications
4. Srivastava, A. R. N. 2006 "The Aged: Their Problems, Social Intervention and Future Outlook in The Western U.P." in A. K. Joshi (2006) (Eds.) Older Persons in India, Serials Publications, New Delhi pp 59
5. Joshi. A. K. 2006 (Eds) Older Persons in India, Serials Publication, New Delhi pp 76.

6. Lopata 1982 in J. Dianne Garner and Susan O. Mercer (Eds.) 'Women As they Age: Challenge Opportunity and Thiumph" The Howarth Press, New York London 1989.
7. Cowdry, 1939 in P.V. Ramamurti "The Sixth Decade and After" S. N. University Press, Tirupati 1978 pp 7.
8. Delamont, S. 1980 Sociology of Women: An Introduction: London Allen and Unwin.
9. Eichler, M. 1985 And The Wor Never Ends : Femini. Contributions Canadian, Revie of Sociology and Anthropolg 22 pp 619-644.
10. Mackie, M. 1983 Exploring Gender Relation: A Canadian Perspective Torauto: Butter worths.
11. Stacey, J. and Thorne, B. 1985 The Missing Feminist Revolution in Sociology, Social Problems, 32, pp 301-316.
12. Ramamurthy, P. V. and D. Jamuna, 1986 Self other Perception of Issue and Problems of the Aged Women in Andhra Pradesh (India) Proceeding of RC 11 of the XI World Congress of Sociology, New Delhi, August pp 18-22.
13. Tondon, Sneh Lata 2001 Senior Citizens, Perspective For The New Millennium. Reliance Publishing House, New Delhi pp 159-168.
14. Himbindu, M. 2002 Study of Rural Women in Andhra Pradesh. Shipra Publication, New Delhi.
15. Chakraborti Rajgopal Dhar 2004 Ibid.
16. Dillon and Samat 1992 in Ishwar Modi (Eds) "Ageing and human Development : Global Perspective" Rawat Publication, New Delhi 2001 pp353-362.
17. Biswas 1991 in Ishwar Modi (Eds) Ibid pp 353-362.
18. Menachery 1987 in Ishwar Modi (Eds) Ibid pp 353-62.
19. Sharma, M. L. and Dak, T. M. 1987 (Eds) Aging in India: Challenges for the Society. Ajanta Publication, Delhi 1987.